<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 66/2022 **दायर दिनांक :–03.06.2022**

उनवान

1. ललिता बाई आयु 65 वर्ष पुत्री सुन्दरलाल जाति खाती निवासी चितेश नगर कोटा जिला कोटा (राज०)
2. सुशीला बाई आयु 62 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नि गिरधारीलाल जाति खाती निवासी महावीर कॉलोनी रंगपुरा रोड कोटा जंक्शन कोटा जिला कोटा (राज०)
3. सुरेन्द्र आयु 57 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति खाती निवासी हरिनगर कॉलोनी बस स्टेण्ड के पास झालावाड जिला झालावाड (राज०)
4. राजेन्द्र आयु 54 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति खाती निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा झालावाड जिला झालावाड (राज०)
5. साधना आयु 52 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नि रामावतार जाति खाती निवासी रामद्वारा मंगलपुरा झालावाड जिला झालावाड (राज०)
6. अरविन्द आयु 50 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति खाती निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा झालावाड जिला झालावाड (राज०)
7. कालूलाल आयु 78 वर्ष पुत्र मडीलाल जाति खाती निवासी 153 बापू नगर आसाराम आश्रम के पास लखावा कोटा जिला कोटा (राज०)
8. संजय आयु 38 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति खाती
9. मनीष आयु 35 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति खाती
10. आशा आयु 32 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि निर्मल कुमार जाति खाती
11. पार्वती बाई आयु 60 वर्ष पत्नि स्व० नन्दकिशोर जाति खाती निवासीगण कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

बनाम

1. कमला बाई पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन
2. कला पुत्री पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन

3. कुसुम पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन

4. हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन निवासीगण नमक की मण्डी कल्याण भवन के पास उज्जैन जिला उज्जैन (म०प्र०) मो0नं0— 9301624455

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज०)

6. सीमा जैन पत्नि श्री मनोज जैन जाति महाजन निवासी कुन्जैड तह० अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 19, 63, 183, 188 आर०टी०एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर (प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 व 6)

निर्णय

दिनांकः— 20.03.2025

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 19, 63, 183, 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में नेमीचन्द पुत्र लालचन्द जाति महाजन निवासी झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज०) के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 192 की ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे०, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे०, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे0, ख. नं. 833 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हेक्टर आराजीयात स्थित है जो खातेदार नेमीचन्द पुत्र लालचन्द का स्वर्गवास हो जाने के बाद में उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के नाम नामान्तकरण संख्या 1157 दिनांक 20/04/2022 से विरासत में खाते दर्ज हो गई है। वाद पत्र के साथ में नकल नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 पेश है जो काबिल गौर है। उक्त आराजीयात के सेटलमेन्ट सम्वत् 2044 से पूर्व र[illegible] प्रकार से थे ख.नं. 732 का रकबा 21 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 907 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 908 का रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 909 का रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 906 का रकबा 5 बिस्वा, ख. नं. 904 का रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, ख. नं. 905 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा आराजीयात स्थित थी तथा उक्त ख.नं. के सन् 2012 के सेटलमेन्ट अर्थात सन् 2002 से 2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

तक ख. नं. निम्न प्रकार से थे खाता संख्या 244 का ख.नं. 1709/657 का रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 70/20 का रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 822 का रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख.नं. 824 का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 825 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 1971/826 का रकबा 11 बिस्वा, ख.नं. 1972/827 का रकबा 16 बिस्वा कुल किता 7 का कुल रकबा 33 बीघा 8 बिस्वा स्थित थी। वाद पत्र के साथ में सम्वत् 2002 से 2077 तक का समस्त राजस्व रिकार्ड की नकले, मिलान क्षेत्रफल, मिलान खसरा सफाई तथा दिनांक 08/01/1943 को उक्त मद नम्बर 1 में दर्ज है वह खातेदार नेमीचन्द से वादीगण के पिताजी एवं दादाजी माधोलाल जांगिड (खाती) निवासी कुन्जैड़, चिरजी, सुन्दरलाल, मडया पिसरान माधोलाल जांगिड ने जमीन मुनाफा व ब्याज बराबर जोई थी। जिस रोज जमीन का रूपया दे देगें उसी रोज हमारा कुंआ व जमीन हमारे कब्जे में कर लेगें। उक्त तहरीर पर गांव के, समाज के पांच आदमियों के हस्ताक्षर है।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है—

<u>वादीगण</u>

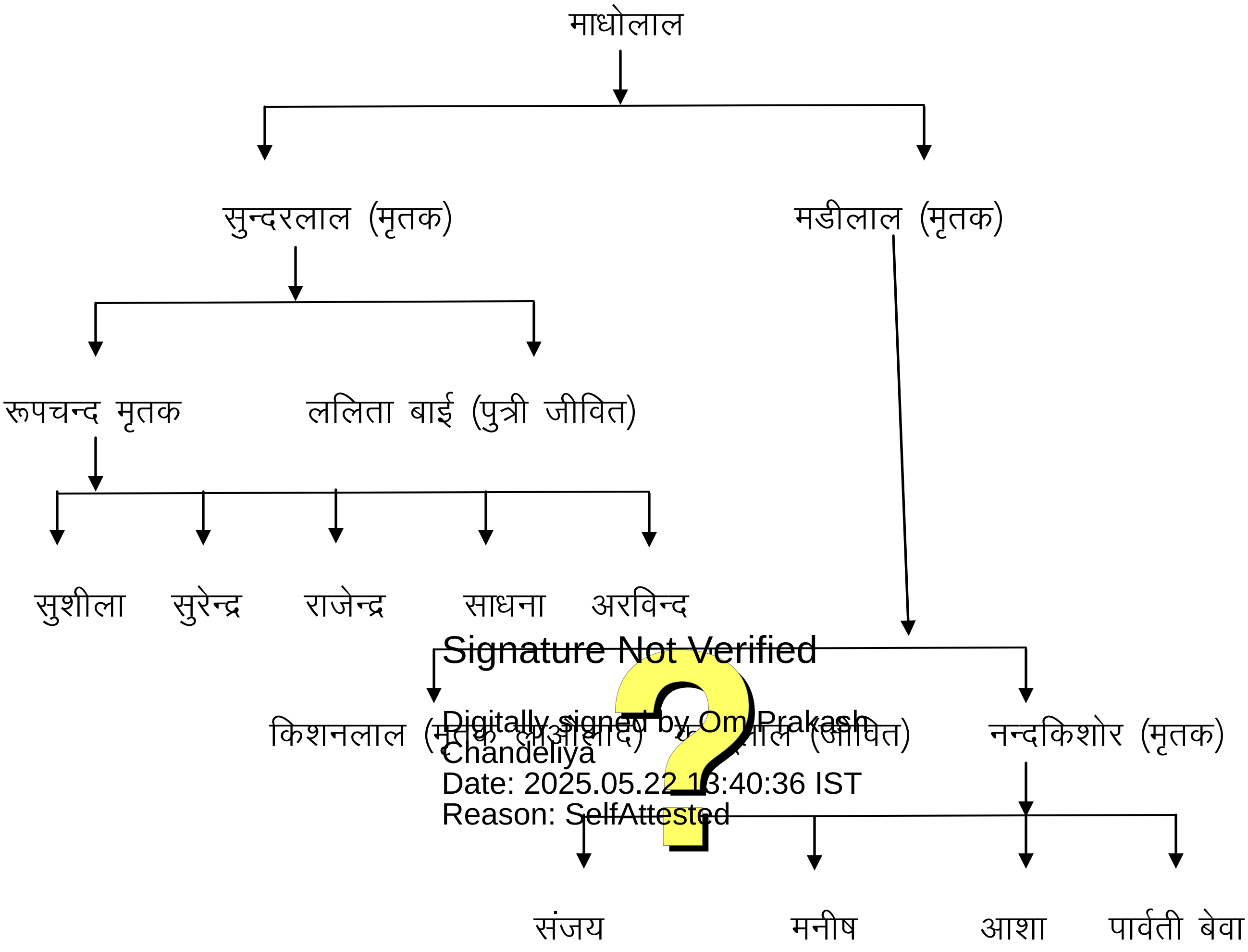

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

<u>प्रतिवादीगण का सजरा</u>

लालचन्द (मृतक)

कमला | कला | कुसुम | हुकमचन्द

वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात को वादीगण तथा उनके पूर्वज सन् 1943 से ही शान्तिपूर्वक लगातार बिना रोक टोक के आज दिन तक काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण तथा उनके पूर्वज वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी पर सम्वत् 2002 से 2011 तक जेली काश्त दर्ज है। कब्जे काश्त को लेकर वादीगण तथा प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वजों के मध्य कभी कोई विवाद नही हुआ है लेकिन आज के समय में अब प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के मन में बेईमानी आ गई है और उनका राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाकर अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से आराजी को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। उक्त आशय की धमकी प्रतिवादीगण ने जर्ये मोबाइल दिनांक 14/03/2022 को दी जबकि वादीगण उक्त वाद में वर्णित आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 के प्रभाव में आने से भी 12 वर्षों पूर्व से काश्त करते चले आ रहे है। इस वजह से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 91, 19, 63, 92ए, के आधार पर और काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक वादीगण वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी के खातेदार कृषक बन चुके है। लेकिन प्रतिवादीगण जमीन खुर्द बुर्द, बेचान करने पर आमादा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये और वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द व जबरन कब्जा कर लिया तो वादीगण वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी पर से अपने हक हकूको से प्राप्त अधिकारों से कब्जे काश्त से वंचित हो जावेंगे। जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। इस वजह से वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 पारित की जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाया जाकर वादीगण को वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 192 की ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे0, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे०, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे०, ख. नं. 833 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 माल कुन्जैड़ तहसील अटरू जिला बारां पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखो में खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावे तथा जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां व तहसीलदार अटरू जिला बारां को रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० पेश कर दिया है लेकिन प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ जाने की वजह से वह आराजी को बेचान, खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस वजह से वाद अब आवश्यक प्रकृति का बन गया है और अब नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना वाद पत्र धारा 80 (2) जा०दी० के प्रार्थना पत्र के साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से तथा वाद घोषणा खातेदारी का होने की वजह से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 12/01/2022 को गांव में आराजी को खुर्द करने के लिये बेचान करने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा गांव कुन्जैड़ के कुछ व्यक्तियों से जर्ये टेलीफोन सम्पर्क करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 14/03/2022 को स्वयं वादीगण को आराजी खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 पारित की जावे कि :–

(अ) वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी ग्राम एवं माल कुन्जैड़ की खाता संख्या 192 की ख.नं. 633 का रकबा 3.40 हे0, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे0, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे०, ख.नं. 833 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे० कुल किता 5 का

कुल रकबा 5.31 हेक्टर पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावे।

(ब) जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे। वादीगण द्वारा (नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 192 सम्वत 2074–77 दिनांक 04.05.2022, नकल फोटोप्रति गिरवी नामा आराजी, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम कुन्जैड, नकल खसरा सफाई भू– प्रबन्ध विभाग ग्राम कुन्जैड, नकल खसरा टीप मौजा कुन्जैड सम्वत 2003, नकल खसरा तरमीम ग्राम कुन्जैड सम्वत 2011, नकल फोटोप्रति मांग पर्ची नेमीचन्द आदि) दस्तावेज पेश किए गए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 में वादीगण का सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रतिवादीगण का सजरा स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं. 4 अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं. 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है। वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। वाद पत्र की मद नं. 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 10 अस्वीकार है। अनुतोष वादीगण अस्वीकार किया तथा विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया।

<u>विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र</u>

यह कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड़ की खाता सं[illegible] का ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे०, ख. नं. 831 का रकबा 0.26 हे0, ख.नं. 832 का रकबा 0.[illegible] हे0, ख.नं. 833 का रकबा 0.01 हे0 गै.मु. चाह, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हे0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के दर्ज खाता स्थित है। जिसके प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 रिकार्डेड खातेदार है। नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 साथ में संलग्न है। प्रतिवादीगण के पिताजी एवं दादाजी ने कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

भी आराजी वादीगण को बेचान नही की बल्कि बाहर गांव रहने के कारण आराजी को मुनाफा काश्त पर जुपाते चले आ रहे थे। कानून के मुताबिक आराजी पर कब्जा काश्त खातेदार का ही माना जाता है। वादीगण की प्रतिवादीगण के स्वामित्व की आराजी पर हेसियत अतिक्रमी की है। वादीगण से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से 12 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त होने की बात मिथ्या व मनघढ़न्त अंकित की है। वादीगण ने झूठे एवं मनघढ़न्त तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र पेश किया है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी को खाते दर्ज करवाने के अधिकारी नही है। विशेष आपत्तियों की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का वादीगण ने मुनाफा काश्त प्रतिवादीगण को इस वर्ष 2022 से देना बन्द कर दिया तथा आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रतिवादी क्रम 4 ने दिनांक 22/06/2022 को थाना अटरू में तथा उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को दी है। जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। वाके ग्राम कुन्जैड़ की खाता संख्या 192 का कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हे० आराजी पर वादीगण ने जबरन दादागिरी के बल पर अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के स्वामित्व की आराजी पर से वादीगण को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को दिलाया जावे तथा कब्जा बनाये रखने की सूरत में वादीगण से प्रतिवादीगण को 10,000 /– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष राशि दिलाई जावे। इस हेतु यह प्रतिवाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रतिवाद पत्र वाद का नोटिस प्राप्त होने की दिनांक 22/06/2022 से अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाने की कृपा करें। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कन्जैड खाता संख्या 192 सम्वत 2074–77, नकल थानाधिकारी अटरू प्रार्थना पत्र, नकल पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां प्रार्थना पत्र पेश किये गयें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादीगण द्वारा जवाब उक्त जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रतिवाद पत्र की मद नं 1 में दर्ज आराजी होना स्वीकार है शेष विवरण अस्वीकार मद नं0 2 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नही है लेकिन शेष मद प्रतिवादीगण का सजरा स्वीकार है। जवाब

दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं० 3 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं० 4 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं० 5 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं० 6 कानूनी है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं० 7 असत्य होने की वजह से स्वीकार नही है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं० 8 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का मद नं० 10 अस्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष आपत्तियां पेश की गई।

<u>विशेष आपत्तियॉ मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब</u>

विशेष आपत्तिया के मद नं0 1 में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के खाते की आराजी होना स्वीकार है लेकिन विधि के प्रावधानों के मुताबिक तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक अब उक्त आराजी पर स्वामित्व से संबंधित सभी अधिकार समाप्त हो चुके है। मद नं 2 पूरा ही असत्य दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही है वादीगण उक्त वर्णित आराजी को पिछले 80 वर्षो से भी अधिक समय से अपने पिताजी दादाजी के समय से ही शान्तिपूर्वक बिना कोई रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में भी वादीगणों के पूर्वजों का कब्जा सम्वत 1942 से ही दर्ज है। राजस्थान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बना उसके भी 10–15 वर्षो पूर्व से वादीगण तथा उनके पूर्वज उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे है। इस वजह से वादीगण कानूनी प्रावधानों के मुताबिक खाता संख्या 192 का ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 माल कुन्जैड का अपने नाम खाता दर्ज करवाने के अधिकारी है। मद नं0 3 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नही है। प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वजों ने आराजी को देखे भी 60–70 वर्ष हो गये होंगे। मद नं0 4 पूरा ही आधारहिन झूठे तथ्यों पर दर्ज होने की वजह से स्वीकार नही है। वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक तथा राजस्व के मुताबिक अब खाता संख्या 192 का रकबा कुल किता 5 का रकबा 5.31 है0 के खातेदार कृषक बन चुके है और प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। मद नं0 5 [illegible] है।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन करते है कि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 का प्रतिवाद पत्र निरस्त फरमाया जावें तथा वादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमाते हुए प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादीगण को उनके स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें।

प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा जवाब पेश नही करने पर प्रतिवादी क्रम 5 का जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादिया क्रम 6 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में आराजी ग्राम कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होना व उपरोक्त आराजियात खातेदार नेमीचन्द पुत्र लाल चन्द जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद मे उनके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 के खाते दर्ज होना स्वीकार है, शेष स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं. 2 में वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का शजरा परिवार जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद नं. 3 स्वीकार नहीं है। वादीगण द्वारा वाद की इस चरण में लिखेनुसार वादीगण तथा उनके पूर्वजों का वाद विषयक आराजियात व सन् 1943 से लगातार काश्त करना स्वीकार नहीं है। वादीगण एवं उनके पूर्वजों का उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। वादीगण द्वारा वाद की इस चरण में सर्वथा गलत एंव असत्य कथन अंकित किये गये है। वाद पत्र की मद नं. 4 स्वीकार नहीं है। वादीगण द्वारा वाद की इस चरण में सर्वथा गलत एवम् असत्य तथ्य अंकित किये गये है। वादीगण का उपरोक्त वाद विषयक आराजियात पर कब्जा नहीं है। अतः उसे कोई अपरिमित क्षति नही होगी। वादीगण वाद विषयक आराजियात के खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी नहीं है। वादीगण प्रतिवादनी न० 6 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद नं. 5 स्वीकार नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आवश्यक प्रकृति का एंव त्वरित अनुतोष से संबंधित नहीं है। प्रतिवादी नं० 5 राजस्थान सरकार को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस देना आवश्यक है। धारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वादीगण नोटिस देने से छूट प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है नोटिस के अभाव में दावा वादीगण खारिज किये जाने होने योग्य है। वाद पत्र की मद नं. 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 7 स्वीकार नहीं है। वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करने के लिये [illegible] कारण उत्पन्न नहीं हुआ । वादीगण ने दिखावटी वाद कारण के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा प्रस्तुत किया है। वाद कारण के अभाव में दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र की मद नं. 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 10 स्वीकार नहीं है। वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

दावा अवधि बाधित प्रस्तुत के जाने से खारिज किये जाने योग्य है। सहायता प्रार्थना वादीगण स्वीकार नहीं है तथा प्रतिवादिया कम 6 द्वारा निम्नलिखित विशेष आपत्तियॉ पेश की गई।

विशेष आपत्तियॉ

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा सर्वथा गलत असत्य एवं निराधार तथ्यों के आधार पर असद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को यह दावा पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा दिखावटी वाद कारण के आधार पर प्रस्तत किया है अतः वाद कारण के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह दावा खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा दावा अवधि बाधित प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 ने वाद विषयक सम्पूर्ण कृषि भी आराजियात दिनांक 17–7–2023 को प्रतिवादनी नं० 6 सीमा जैन पत्नी श्री मनोज जैन जाति महाजन निवासी ग्राम कुन्जेड तहसील अटरू जिला बारां को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। विक्रय के प्रमाण में व प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 4 ने प्रतिवादनी नं० 6 सीमा जैन के पक्ष में दिनांक 17–7–2023 को गवाहान की उपस्थिती में विक्रय पत्र निष्पादित कर गवाही गवाहान करवा कर उपपंजीयक अटरू के कार्यालय में पंजीयन करवा दिया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उपरोक्त भूमि प्रतिवादनी नं0 6 के खाते दर्ज हो चुकी है प्रतिवादनी नं० 6 उपरोक्त भूमि पर बहैसियत सद्भावी क्रेता व खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज चली आ रही है एवं वर्तमान में भी काबिज है। प्रतिवादनी नं० 6 ने उपरोक्त भूमि पर सरसों की फसल की है। वादीगण के पूर्वज राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय सम्वत 2012 में वाद विषयक आराजियात के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उपकृषक अंकित नहीं थे अतः वादीगण के पूर्वजो का एवं वादीगण को वाद विषयक आराजियात पर कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। वादीगण के पूर्वजों का सम्वत् 2012 में उपरोक्त भूमि पर कब्जा भी नहीं था अतः वादीगण सम्माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24–1–2024 को खारिज फरमाया जा चुका है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय भूप्रबन्ध अधिकारी एंव राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2024 को खारिज फरमायी जा चुकी है। वादीगण ने वाद में वाद विषयक आराजियात पर वादीगण के पूर्वजों का

Signature Not Verified
Digitally signed by:Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

एंव वादीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से भी 12 वर्ष पूर्व से काश्त करते चले आने का सर्वथा गलत एंव मूंठा कथन किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वादीगण का वाद विषयक आराजियात पर कब्जा नहीं है, कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा सव्यय खारिज किये जाने का निर्णय फरमाने की कृपा करे। प्रतिवादिया कम 6 ने निम्नलिखित दस्तोवज (नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 192 सम्वत 2074–77, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 192 सम्वत 2074–77, नकल नामान्तकरण प्रविष्ठी संख्या 1266 दिनांक 31.07.2023 ग्राम कुन्जैड, नकल रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17.07.2023, नकल प्रतिलिपी माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा, आदेश दिनांक 12.11.2024, नकल प्रतिलिपि माननीय न्यायालय राजस्व बोर्ड अजमेर आदेश दिनांक 28.08.2024, पैमाईस रिपोर्ट पटवार हल्का कुन्जैड दिनांक 09.05.2024) पेश किए गए।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम कि गईः–

तनकी नं0 1 :– आया कि वादीगण मुनाफा काश्त की तहरीर तथा लम्बे समय से चले आ रहे कब्जा काश्त के आधार पर खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी नं0 2 :–आया कि वादीगण प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

(वादीगण)

तनकी नं0 3 :–आया कि वादीगण द्वारा धारा 80सी०पी०सी० के नोटिस की अवधि की पालना नही की गई इसलिए वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है।

(प्रतिवादीगण)

तनकी नं0 4 :–आया कि वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है इसलिए वाद कारण के अभाव में वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रतिवादीगण)

तनकी नं0 5 :–आया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाधित होने से खारिज किया जावे।

(प्रतिवादीगण)

तनकी नं0 6 :–आया कि प्रतिवादिया क्रम 6 सीमा जैन के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा दिनांक 17.07.2023 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजियक अटरू के यहां पंजियन करवा दिया था।

(प्रतिवादिया क्रम 6)

तनकी नं0 7 :–आया कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2023 के आधार पर वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादिया क्रम 6 के खाते दर्ज हो चुकी है तथा बहेसियत सद्भावी क्रेता व खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज चली आ रही है।

(प्रतिवादिया क्रम 6)

तनकी नं0 8 :–आया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि पर वक्त खरीद दिनांक 17.07. 2023 से एवं वर्तमान में भी काबिज काश्त है तथा उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादिया क्रम 6 ने फसल सरसो आदि की काश्त करती चली आ रही है।

(प्रतिवादियां क्रम 6)

तनकी नं0 9 :–आया कि वादीगण के पूर्वज राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय सम्वत् 2012 में वाद विषयक आराजीयात के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उप कृषक अंकित नहीं थे।

(प्रतिवादिया क्रम 6)

तनकी नं0 10 :–आया कि वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2024 को खारिज फरमा दिया गया है तथा वादीगण द्वारा RAA कोटा में प्रस्तुत अपील भी दिनांक 12.11.2024 खारिज की जा चुकी है।

(प्रतिवादिया क्रम 6)

तनकी नं0 11 :–आया कि वादीगण कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रतिवादिया क्रम 6)

तनकी नं0 12 :–आया कि वादीगणों का वाद विषयक आराजीयात पर कब्जा नही है। कब्जे के अभाव में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है।

(प्रतिवादिया क्रम 6)

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने साक्ष्यवादी पेश नही किए।

साक्ष्य प्रतिवादी के तहत Dw1 सीमा जैन पत्नी मनोज जैन जाति महाजन निवासी कुन्जैड तहसील अटरू, Dw2 हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन निवासी नमक की मण्डी कल्याण भवन के पास उज्जैन जिला उज्जैन, Dw3 शरीफ मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कुन्जैड तहसील अटरू, Dw4 मनीष जैन पुत्र नेमकुमार जाति महाजन निवासी कुन्जैड तहसील अटरू व Dw5 युवराज पुत्र इन्द्रभान जाति अहीर निवासी कुन्जैड तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किये गये तथा शपथ बयान दर्ज किये गये।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सूनी गई। अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में किए गए कथनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण के कथनों का विरोध किया तथा वाद स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अभिभाषक वादीगण के कथनों का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि नेमीचन्द के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के दर्ज रिकार्ड की गई तथा दिनांक 17.07.2023 को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 6 को विक्रय कर कब्जा संभलवाया। वादीगण के पास विवादित आराजी का कब्जा नही है तथा कथन किया कि वादीगण को बेचान नही किया गया था केवल मुनाफा काश्त पर दिया गया था। अतः वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नही है। अतः वाद खारिज फरमाया जावें तथा वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया।

उभय पक्षकारान की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों (नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 192 सम्वत 2074–77 दिनांक 04.05.2022, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम कुन्जैड, नकल खसरा सफाई भू– प्रबन्ध विभाग ग्राम कुन्जैड, नकल खसरा टीप मौजा कुन्जैड सम्वत 2003, नकल खसरा तरमीम ग्राम कुन्जैड सम्वत 2011 नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 192 सम्वत 2074–77, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 192 सम्वत 2074–77, नकल नामान्तरण संख्या 1266 दिनांक 31.07.2023 ग्राम कुन्जैड, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2023, प्रतिलिपी माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा, आदेश दिनांक 12.11.2024, नकल प्रतिलिपि माननीय न्यायालय राजस्व बोर्ड अजमेर आदेश दिनांक 28.08.2024, पैमाईस रिपोर्ट पटवार हल्का कुन्जैड दिनांक 09.05.2024) का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन से पहले निम्नलिखित धाराओं का अध्ययन कर समझना आवश्यक प्रतीत होता है।

धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955:– खुदकाश्त के कतिपय अभिधारियों को और उप अभिधारियों को अधिकारों का प्रदान किया जाना।

1. वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय,

   (क) उस समय चालू वार्षिक रजिस्टरों में बाग भूमि से भिन्न भूमि के खुदकाश्त के अभिधारी या उप अभिधारी के रूप में दर्ज था, या

   (ख) इस प्रकार से तो दर्ज नही था लेकिन जो बाग भूमि से भिन्न भूमि का खुदकाश्त का अभिधारी या उप अभिधारी था।

धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955:– अभिधृत्तियां कब निर्वापित हो जाएगीं:–

1. किसी अभिधारी का, अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग में का हित, यथास्थिति, तब निर्वापित हो जाएगा–

   i- जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विरासत का हकदार वारिस छोडे बिना मर जावें।

   ii- जब वह इस अधिनियम के (या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956) के उपबन्धों के अनुसार इसका अभ्यर्पण या परित्याग कर दे,

   iii- जब उसकी भूमि अर्जित कर ली गई हो,

   iv- जब उसे कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और उसका कब्जा फिर से प्राप्त करने का अधिकार परिसीमा से वर्जित हो जाये,

   v- जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसे बेदखल कर दिया जावें,

   vi- जब वह उसमें भू–धारक के सभी अधिकारों को अर्जित कर ले अथवा भू–धारक उन्हे विरासत में जावे या अन्यथा अर्जित करें,

   vii- जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका विक्रय कर दे या उसे दान में दे दे, या दान कर दे।

   viii- जब वह विधिमान्य दानपत्र अभिप्राप्त किए बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवास के लिए भारत से विदेश चला जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

ix- यदि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के अधीन भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जावें या भमि को पुनः कब्जे में लेने का आदेश दिया जावें।

अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 एक्ट) :–

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।
3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्व इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाएँ।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नहीं हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

<u>अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 91 आर0टी0 एक्ट) :—</u> विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अपने सब अधिकारों या उनमें से किसी की, जिसके लिए अन्यथा रूप से उपबंध नही है, घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकेगा।

<u>धारा 92 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—</u> **<u>व्यादेश के लिए वाद</u>**:— इस अधिनियम में अन्यत्र यथा—विनिर्दिष्टतः उपबंधित को छोडकर कोई व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने समस्त या किन्हीं अधिकारों के बारें में, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 के अध्याय 10 के उपबन्धों के अनुसार और उनके अध्यधीन व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 आर0टी0एक्ट कतिपय अतिचारियों की बेदखलीः—</u>

1. इस अधिनियम में किसी उपबंध मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है तो उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन उसको बेदखल करने के लिए हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा वाद करने पर बेदखली के लिए दायी होगा और प्रत्येक उस सम्पूर्ण कृषि वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए जिसके दौरान उसे ऐसा कब्जा रखा, शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुना तक हो सकेगी, संदत्त करने का अतिरिक्त रूप से दायी होगा।

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 आर0टी0एक्ट दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः—</u> कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू—धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्नलिखित शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः—

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी [illegible] भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उप[illegible] कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

<u>परिभाषाएंः— धारा 5 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955ः—</u>

''कृषक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या सेवकों या अभिधारियों द्वारा कृषि से पूर्णतः या मुख्यतः अपनी जीविका उपार्जित करता है।

''अभिधारी'' में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा लगान संदेय है।

''उप अभिधारी'':– उप अभिधारी के निम्नलिखित लक्षण है–

1. किसी व्यक्ति का नाम या स्तर महत्वपूर्ण नही है कि उसे उप अभिधारी मान लिया जावें जैसे शिकमी, जैली आदि।
2. वह किसी (i) मालिक या (ii)भू स्वामी या (iii) अभिधारी से भूमि लेता है इस प्रकार भूमि या भूमि का अधिकार उसका स्वयं का नही है। भूमि किसी दूसरे की है वह केवल खेती करता है।
3. परन्तु इसके लिए प्रत्यक्ष या निहीत संविदा है कि ''लगान संदेय है या दिया जावेगा''

धारा 14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खातेदार अभिधारीः– ''प्रत्येक व्यक्ति जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय भूमि का उप अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा अभिधारी है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात उप अभिधारी या खुदकाश्त के अभिधारी से अन्यथा या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या अनुसार भूमि के आवंटिती से अन्यथा अभिधारी के रूप में मान लिया गया है या जो इस अधिनयिम या राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेता है खातेदारी अभिधारी होगा''।

बहस विद्वान अभिभाषकगण को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वर्णित धाराओं एवं परिभाषाओं का गहन अध्ययन, मनन, विश्लेषण व विवेचन के पश्चात **तनकीवार** निम्नलिखित तथ्य साबित होते है–

1. वादीगण द्वारा मुनाफा काश्त की तहरीर की प्रतिलिपि दस्तावेज के रूप में पेश की गई है जो प्रमाणित तथा मूल प्रतिलिपि भी नही है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र से यह साबित होता है कि वादीगण विवादित आराजी को मुनाफा काश्त करते थे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा [illegible] मौजा कुन्जैड सम्वत 2003 में नेमीचन्द का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। खसरा तरमीम ग्राम कुन्जैड सम्वत 2011 में नेमीचन्द वल्द लालचन्द का नाम कृषक के रूप में दर्ज है तथा सुन्दर वल्द माधो का नाम उपकृषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

के रूप में दर्ज है। नकल खसरा टीप मौजा कुन्जैड सम्वत 2002 में खातेदार नेमीचन्द तथा जैली माधो दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 (कमला पुत्री नेमीचन्द, कला पुत्री नेमीचन्द, कुसुम पुत्री नेमीचन्द, हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द) के नाम जमाबन्दी सम्वत 2074–77 में खातेदार के रूप में दर्ज है जो कि उनके पिता नेमीचन्द की मृत्यु पर विरासत के नामान्तकरण से दर्ज हुई है।

उपरोक्त विवरण/तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता का नाम सम्वत 2003 में भी खातेदार के रूप में दर्ज है तथा सम्वत 2011 में नेमीचन्द वल्द लालचन्द कृषक के रूप में दर्ज है जबकि सुन्दर वल्द माधो उपकृषक के रूप में दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद नेमीचन्द वल्द लालचन्द खातेदार के रूप में जीवन पर्यन्त दर्ज रिकार्ड रहा है तथा नेमीचन्द की मृत्यु पर उसके वारिसान का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है। अतः स्पष्ट है कि रिकार्ड में कोई अकस्मात् परिवर्तन प्रविष्ठियों में नही हुआ है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वादीगण खुदकाश्त अभिधारी भी साबित नही होते न ही उप अभिधारी। लगान देने से संबंधित कोई तथ्य साबित करने में वादीगण असफल रहे है तथा कृषक की परिभाषा में स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या सेवकों द्वारा कृषि से पूर्णतया या मुख्यतः अपनी जीविका उपार्जित करता है। पैमाईस रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 4 हुकमचन्द तथा प्रतिवादिया क्रम 6 (रजिस्टर्ड क्रेता) की उपस्थिति में पैमाईस कर कब्जा प्रतिवादिया क्रम 6 को संभलाया गया है। धारा 45, 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी पट्टे या उपपट्टे पर भूमि देने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाती है जिसके तहत कोटा राज्य के जैली किसान को खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते।

धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन लाभ केवल खसरा गिरदावरी की प्रविष्ठियों के आधार पर [illegible] है। खातेदारी अधिकारों के लिए धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के [illegible] तत्वों का सिद्ध होना आवश्यक है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता नेमीचन्द जीवनपर्यन्त [illegible] उनकी मृत्यु के बाद इनके वारिस स्वयं खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड रहे है। धारा 19 आर0टी0 एक्ट के प्रावधानों को वादीगण साबित करने में असफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandaliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर **<u>तनकी नं0 1</u>** का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

2. तनकी नं0 1 के विश्लेषण के आधार पर यह साबित है कि वादीगण स्वयं को अभिधारी साबित करने में असफल है, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए कोई अभिधारी वाद ला सकता है तथा वादीगण का विवादग्रस्त जोत का अभिधारी (परिभाषा धारा 5 (43) सहपठित धारा 14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) होने की प्रास्थिति साबित करना धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने के लिए आवश्यक शर्त है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर **तनकी नं0 2** का निर्णय विरूद्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

3. धारा 80(2) सीपीसी में नोटिस से अत्यावश्यक मामलों में छूट का प्रावधान है यदि न्यायालय ने धारा 80 (2) सीपीसी के आवेदन पर आदेश पारित किए बिना वाद की सुनवाई की अनुमति दी है तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है तथा वाद संस्थित करने हेतु प्रदत्त अनुमति के आदेश को न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार ने चुनौती नही दी है तब नोटिस के अभाव के आधार पर वाद खारिज नही किया जा सकता।

वाद पत्र के साथ प्रस्तुत धारा 80 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को चुनौती भी नही दी गई आदेश जारी किया गया। अतः वाद की सुनवाई किया जाना न्याय के सिद्वान्त को ध्यान में रखते हुए अर्न्तहित (छिपी हुई) अनुमति को साबित करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल धारा 80 सीपीसी के नोटिस की अवधि के आधार पर वादीगण का वाद खारिज नही किया जा सकता। अतः **तनकी नं0 3** का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

4. i- जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर सम्पति है वहां वाद पत्र में सम्पति का ऐसा वर्णन जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जिसमें ऐसी सम्पति की पहचान भू– व्यवस्थापन या सर्वेक्षण सम्बन्धी अभिलेख की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

ii- न्यायालय के लिए वाद पत्र में किए गए कथनों से मात्र यह पता लगाना अपेक्षित है कि क्या वाद पत्र से प्रथम दृष्टया कोई वाद हेतुक प्रकट होता है अथवा नहीं।

iii- वाद हेतुक प्रकट न होने के कारण एक वादपत्र का नामंजूर करने का आदेश वाद पत्र में किए गए कथनों के आधार पर ही किया जाना ही न्याय संगत है।

इस प्रकरण में उपरोक्त तीनो बिन्दु (i,ii,iii) वादीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः केवल वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण वादीगण का वाद खारिज नही किया जा सकता है तथा प्रतिवादीगण उक्त तीनों बिन्दुओं (i,ii,iii) के विपक्ष में तथ्य साबित करने में असफल रहे है। इस आधार पर **<u>तनकी नं0 4</u>** का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के लिए परिसीमा की कालावधि निश्चित नही है वर्णित वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 को शामिल किया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद केवल अवधि बाधा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः **<u>तनकी नं0 5</u>** का निर्णय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व किया जाता है।

6. प्रतिवादिया क्रम 6 द्वारा दस्तावेज के रूप में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श–4) पेश किया है, जो प्रमाणित प्रति है। जिसके साथ रसीद संख्या 202302336001272 लगी है तथा उस पर दिनांक 17.07.2023 अंकित है। तथा Sale Deed (202301336001225) अंकित है। विक्रय पत्र में विक्रेता कमला, कला, कुसुम पुत्रियॉ नेमीचन्द तथा हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन द्वारा क्रेता सीमा जैन पत्नी मनोज जैन जाति महाजन निवासी कुन्जैड को आराजी वाके ग्राम व माल कुन्जैड जमाबन्दी खाता संख्या 192 के ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 को रूपयों की आवश्यकता होने से विक्रय का प्रस्ताव विक्रेताओं द्वारा क्रेता के समक्ष रखा तथा क्रेता ने उसे स्वीकार किया का अंकन है। उक्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जो उप पंजीयक कार्यालय अटरू से जारी की गई है जिस पर विक्रताओं तथा क्रेता एवं साक्षीगण के हस्ताक्षर है तथा सभी की फोटो लगी है तथा वर्णित विक्रय पत्र पर उप पंजीयक अटरू के हस्ताक्षर है। इससे यह साबित है कि दिनांक 17.07.2023 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजियक अटरू के यहॉ उक्त आराजी के विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया गया है। अतः **<u>तनकी नं0 6</u>** का निर्णय वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादिया क्रम 6 के पक्ष में किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

7. दिनांक 17.07.2023 को विक्रेताओं कमला, कला, कुसुम पुत्रिया नेमीचन्द तथा हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन द्वारा आराजी वाके ग्राम व माल कुन्जैड जमाबन्दी खाता संख्या 192 के ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 का विक्रय जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श–4) क्रेता सीमा जैन पत्नी मनोज जैन जाति महाजन निवासी कुन्जैड को किया तथा उसे कब्जा संभलवाया। दिनांक 09.05.2024 को भी विक्रेता हुकमचन्द तथा क्रेता सीमा जैन की उपस्थिति में आराजी ग्राम व माल कुन्जैड की खाता संख्या 192 का पटवारी, भू0अभि0 निरीक्षक द्वारा सीमाज्ञान किया गया तथा क्रेता को सीमा चिन्ह बताये गए। नामान्तकरण प्रविष्ठी क्रम संख्या 1266 दिनांक 31.07.2023 (प्रदर्स–3) द्वारा कुन्जैड की खात संख्या 192 के ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 की बेचान के नामान्तकरण की कार्यवाही शुरू की गई तथा भू0अभि0निरीक्षक की रिपोर्ट में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अंकन सही बताया गया है। वर्तमान ग्राम कुन्जैड पटवार हल्का कुन्जैड जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 (प्रदर्स–1) खाता संख्या 192 के ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 की सम्पूर्ण आराजी 5.31 है0 में सीमा जैन पत्नी मनोज हिस्सा पूर्ण जाति महाजन, सा देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार साबित है कि वर्णित आराजी ग्राम व माल कुन्जैड खाता संख्या 192 के ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी प्रतिवादिया क्रम 6 के नाम द[illegible]ई है तथा सीमा जैन ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त आराजी को क्रय किया है [illegible]माईस रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 तथा विक्रय पत्र में विक्रेताओं द्वारा क्रेता (सीमा जैन [illegible] प्रतिवादिया क्रम 6) को कब्जा संभलाया जाना अंकित है तथा अभिभाषक प्रतिवादिया क्रम 6 द्वारा प्रस्तुत विवादित आराजी के फोटोग्राफ जिस पर दिनांक मई 18, 2024 अंकित है तथा लोहे के गेट पर Jain Agro

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

Kunjer (सीमा जैन पत्नी मनोज कुमार जैन) की प्लेट लगी हुई है तथा 15 मार्च 2025 की तिथि के फोटोग्राफ में भी लोहे के गेट पर Jain Agro Kunjer (सीमा जैन पत्नी मनोज कुमार जैन) लिखा हुआ है, जो प्रतिवादिया क्रम 6 के निरन्तर कब्जा काश्त को दर्शाता है। अतः साबित है कि प्रतिवादिया क्रम 6 बहेसियत सद्भावी क्रेता व खातेदार टीनेन्ट वैधानिक रूप से काबिज है। अतः <u>**तनकी नं0 7**</u> का निर्णय वादीगण के विरूद्व तथा प्रतिवादिया क्रम 6 के पक्ष में किया जाता है।

8. प्रतिवादिया क्रम 6 द्वारा विक्रेताओं से ग्राम व माल कुन्जैड की खाता संख्या 192 के ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श–4) खरीद की गई। उस विक्रय पत्र में विक्रेताओं द्वारा क्रेता (प्रतिवादिया क्रम 6) को कब्जा संभलाया जाना अंकित है तथा पैमाईस रिपोर्ट 09.05.2024 से विक्रेता हुकमचन्द द्वारा क्रेता (प्रतिवादिया क्रम 6) को पटवारी, भू0अभि0 निरीक्षक की उपस्थिति में निशानदेही करवाया जाना साबित है। फसले रबी व खरीफ के अनुसार बोई जाती है। अभिभाषक प्रतिवादिया क्रम 6 द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि कुन्जैड की खाता संख्या 192 की ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी में सरसो की फसल बोई गई है।

अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श–4) तथा पैमाईस रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 तथा बयान मनीष जैन पुत्र नेम कुमार जैन निवासी कुन्जैड (Dw-4), शरीफ मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद निवासी कुन्जैड (Dw-3), हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द (Dw-2) से साबित है कि उक्त आराजी खाता संख्या 192 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी पर प्रतिवादिया क्रम 6 का कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में (मार्च 2025 में) सरसों की फसल प्रतिवादिया क्रम 6 द्वारा बोई गई है। अतः <u>**तनकी नं0 8**</u> का निर्णय प्रतिवादिया क्रम 6 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

9. खसरा तरमीम ग्राम कुन्जैड सम्वत 2011 में नेमीचन्द वल्द लालचन्द कौम महाजन का नाम कृषक के रूप में तथा सुन्दरलाल वल्द माधो कौम खाती, किशना,काल्या, नन्दकिशोर पिता

मडिया कौम खाती का नाम उप कृषक के रूप में दर्ज है। उक्त खसरा तरमीम सम्वत 2011 की प्रतिलिपि पेश की गई है जो कि प्रमाणित भी नही है लेकिन प्रतिलिपि के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वजों का नाम सम्वत 2011 में उपकृषक के रूप में अंकित था तथा सम्वत 2012 का कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किया गया है। अतः **तनकी नं0 9** का निर्णय आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में तथा आंशिक रूप से प्रतिवादिया क्रम 6 के पक्ष में किया जाता है।

10. वादीगण द्वारा वाद प्रकरण 66/2022 के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 27/2022 पेश किया गया जिसका निर्णय दिनांक 24.01.2024 को किया गया। निर्णय की अपील वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2024 से खारिज किया गया। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 12.11.2024 की प्रतिलिपि के अनुसार अपील संख्या 2024/46 दिनांक 20.05.2024, कालूलाल पुत्र मडीलाल बनाम कमला वगै0 माननीय न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश की गई। अपील में अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (दिनांक 24.01.2024) में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 12.11.2024 में अपील अपीलाण्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 को यथावत रखे जाने के आदेश दिए गए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **तनकी नं0 10** का निर्णय प्रतिवादिया क्रम 6 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

11. तनकी नं0 1 कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकारों से संबंधित है तथा तनकी नं0 11 भी वादीगण के कब्जे के अनुसार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से संबंधित है। अन्तर केवल इतना ही है कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 द्वारा विवादित सम्पूर्ण आराजी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श–4) प्रतिवादिया क्रम 6 (सीमा जैन) को विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया गया है तथा सीमा जैन (प्रतिवादिया क्रम 6) उक्त आराजी की क्रेता

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

होने के कारण आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी के तहत पक्षकार बनी। सीमा जैन पत्नी मनोज जैन को संशोधित टाईटल में प्रतिवादिया क्रम 6 के रूप में अंकित किया गया। पटवार मण्डल कुन्जैड, तहसील अटरू के नामान्तकरण प्रविष्ठी संख्या 1266 दिनांक 31.07.2023 के आधार पर सीमा जैन (प्रतिवादिया क्रम 6) जिसने आराजी का क्रय प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया है, का नाम नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—77 में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवरण से तथा तनकी नं0 1 के निर्णय के आधार पर स्पष्ट है कि तनकी नं0 11 के निर्णय में तथ्यों का अनावश्यक दोहराव न किया जाकर तनकी नं0 1 के निर्णय के आधार पर **<u>तनकी नं0 11</u>** का निर्णय प्रतिवादिया क्रम 6 के पक्ष में तथा वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

12. जवाब दावा में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 ने विवादित आराजी को मुनाफा काश्त पर देना स्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श—4) विवादित आराजी को प्रतिवादिया क्रम 6 को विक्रय कर कब्जा संभलवाया तथा पैमाईस रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 4 (हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द) जो कि विवादित आराजी का विक्रेता है तथा प्रतिवादिया क्रम 6 (सीमा जैन पत्नी मनोज जैन) जो कि विवादित सम्पूर्ण आराजी की क्रेता है, कि उपस्थिति में पटवारी, भू0अभि0 निरीक्षक द्वारा उक्त आराजी की पैमाईस कर क्रेता (प्रतिवादिया क्रम 6) को सीमा चिन्ह बताए गए तथा प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि कुन्जैड की खाता संख्या 192 की ख0नं0 663 का रकबा 3.40 है0, ख0नं0 831 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 832 का रकबा 0.19 है0, ख0नं0 833 का रकबा 0.01 है, ख0नं0 834 का रकबा 1.45 है कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी पर प्रतिवादिया क्रम 6 काबिज काश्त है। अतः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (प्रदर्श—4) तथा पैमाईस रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 तथा बयान मनीष जैन पुत्र नेम कुमार जैन निवासी कुन्जैड (Dw-4), श[illegible]म्मद पुत्र गनी मोहम्मद निवासी कुन्जैड (Dw-3), हुकमचन्द पुत्र ने[illegible] (Dw-2) [illegible] साबित है कि उक्त आराजी खाता संख्या 192 कुल किता 5 का कुल [illegible] 5.31 [illegible]आराजी पर प्रतिवादिया क्रम 6 का कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में (मार्च 2025 की स्थिति) सरसों की फसल प्रतिवादिया क्रम 6 द्वारा बोई गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवरण, विश्लेषण से साबित है कि वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा रहा होगा लेकिन वर्तमान में विवादित आराजी पर प्रतिवादिया क्रम 6 का कब्जा है। वर्णित प्रकरण में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 ग्राम कुन्जैड, तहसील अटरू जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 (प्रदर्श–2) के अनुसार खाता संख्या 192 के कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 है0 आराजी के खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा सम्वत 2012 से पहले प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता नेमीचन्द वल्द लालचन्द कृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड रहे है तथा ग्राम कुन्जैड, तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 (प्रदर्श–2) दिनांक 10.06.2022 की खाता संख्या 192 ख0नं0 663, 831, 832, 833, 834 कुल रकबा 5.31 है0 के अनुसार कमला पुत्री नेमीचन्द, कला पुत्री नेमीचन्द, कुसुम पुत्री नेमीचन्द, हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जब विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड थी तथा वादीगण विवादित आराजी पर प्रतिवादी 1 लगायत 4 की सहमति के बिना अपना कब्जा दर्शाते है तो वादीगण का वह कब्जा प्रतिकूल कब्जा साबित होता है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। खातेदारी साबित करने हेतु पुख्ता सबूत आवश्यक है जिनका विवरण, विश्लेषण तनकी नं0 1 के निर्णयन में किया जा चुका है। उपरोक्त विवरण, विश्लेषण तथा तथ्यों के आधार तनकी नं0 12 का निर्णय दो खण्डों में निम्नानुसार किया जाता है।

i- कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वर्तमान में वाद विषयक आराजी पर प्रतिवादिया क्रम 6 का कब्जा साबित है।

ii- वादीगण ने अनुतोष चाहने हेतु अनेक दस्तावेज पेश किए है केवल कब्जे का आधार प्रस्तुत नही किया गया है तथा वादीगण विधि सम्मत कब्जा साबित करने में भी असफल रहे है। उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद केवल कब्जे के आधार पर खारिज [illegible] जा सकता।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर <u>**तनकी नं0 12**</u> का निर्णय आंशिक रूप में प्रतिवादिया क्रम 6 के पक्ष में तथा आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

पुनः न्यायिक दृष्टातों, तनकीवार निर्णय का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया। इस आधार पर वादीगण के वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष –(अ), (ब), (स) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 66/2022 **दायर दिनांक :–03.06.2022**

उनवान

1. ललिता बाई आयु 65 वर्ष पुत्री सुन्दरलाल जाति खाती निवासी चितेश नगर कोटा जिला कोटा (राज०)

2. सुशीला बाई आयु 62 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नि गिरधारीलाल जाति खाती निवासी महावीर कॉलोनी रंगपुरा रोड कोटा जंक्शन कोटा जिला कोटा (राज०)

3. सुरेन्द्र आयु 57 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति खाती निवासी हरिनगर कॉलोनी बस स्टेण्ड के पास झालावाड जिला झालावाड (राज०)

4. राजेन्द्र आयु 54 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति खाती निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा झालावाड जिला झालावाड (राज०)

5. साधना आयु 52 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नि रामावतार जाति खाती निवासी रामद्वारा मंगलपुरा झालावाड जिला झालावाड (राज०)

6. अरविन्द आयु 50 वर्ष पुत्र रूपचन्द जाति खाती निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा झालावाड जिला झालावाड (राज०)

7. कालूलाल आयु 78 वर्ष पुत्र मडीलाल जाति खाती निवासी 153 बापू नगर आसाराम आश्रम के पास लखावा कोटा जिला कोटा (राज०)

8. संजय आयु 38 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति खाती

9. मनीष आयु 35 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति खाती

10. आशा आयु 32 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि निर्मल कुमार जाति खाती

11. पार्वती बाई आयु 60 वर्ष पत्नि स्व० नन्दकिशोर जाति खाती निवासीगण कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादीगण

बनाम

1. कमला बाई पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन
2. कला पुत्री पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन
3. कुसुम पुत्री नेमीचन्द जाति महाजन
4. हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द जाति महाजन निवासीगण नमक मण्डी कल्याण भवन के पास उज्जैन जिला उज्जैन (म०प्र०) मो0नं0– 9301624455
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज०)
6. सीमा जैन पत्नि श्री मनोज जैन जाति महाजन निवासी कुन्जैड तह० अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 19, 63, 183, 188 आर०टी०एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम (1 ता 4 व 6)

मिनजानित मुदई रूबरू ....र..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम कुन्जैड की विवादित आराजी खाता संख्या 192 की ख.नं. 663 का रकबा 3.40 हे०, ख.नं. 831 का रकबा 0.26 हे०, ख.नं. 832 का रकबा 0.19 हे0, ख. नं. 833 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 834 का रकबा 1.45 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 5.31 हेक्टर आराजी के संबंध में पेश वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....र..................... मुबालिक ....र................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......र......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....र......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.03.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:36 IST
Reason: SelfAttested